प्रेस नोट दिनांक 04.12.2024 जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस ने 17 गंभीर मामलों में वांछित आरोपी दबोचा

-शातिर अपराधी राजेश कुमार चोरी के ₹1.10 लाख के साथ गिरफ्तार

-17 संगीन मामलों में वांछित अपराधी पर कई जिलों में दर्ज हैं मुकदमे

-सीसीटीवी और ठोस साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की

-रखहा बाजार में ₹3 लाख की चोरी का आरोपी पुलिस के शिकंजे में

-प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई से अपराधियों में फैला खौफ

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ अपनी मुहिम में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक बेहद शातिर और लंबे समय से वांछित अपराधी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर चोरी, डकैती, हथियार अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम समेत 17 संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को कंधई मधुपुर बैंक के पास से गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी के ₹1,10,000 बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में सीसीटीवी फुटेज और ठोस साक्ष्यों का उपयोग कर आरोपी तक पहुंच बनाई गई।

घटना का विवरण

पिछले महीने 28 अक्टूबर 2024 को पीड़ित सुरेंद्र पाल ने भारतीय स्टेट बैंक, प्रतापगढ़ से घर बनाने के लिए ₹3,00,000 निकाले थे। घर लौटते वक्त, रखहा बाजार में चाय-पानी करने के दौरान उनकी बाइक की डिग्गी से अज्ञात चोरों ने यह राशि उड़ा ली। इस घटना पर स्थानीय थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार ने घटना के जल्द खुलासे के लिये स्पेशल टीमें लगाईं। मामले की जांच में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राजेश कुमार और उसके साथी सुरेश कुमार को आरोपी के रूप में चिह्नित किया।

अपराधिक इतिहास

राजेश कुमार का आपराधिक इतिहास चौंकाने वाला है। बलरामपुर, रायबरेली, लखनऊ, अमेठी, और कुशीनगर सहित कई जिलों में उसके खिलाफ चोरी, डकैती, गिरोहबंदी, हथियार अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम के तहत गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इनमें बलरामपुर जिले में दर्ज डकैती और रायबरेली में शस्त्र अधिनियम व हत्या के प्रयास जैसे मामले भी शामिल हैं।

अपराध की विविधता: चोरी (धारा 379), डकैती (धारा 395, 397), और गिरोहबंदी (3(1) गैंगस्टर एक्ट)।

अन्य जिले: रायबरेली में हत्या का प्रयास और सीतापुर में चोरी के मामले।

पुलिस की कार्रवाई

अपराधी को पकड़ने के लिए प्रभारी निरीक्षक अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। इस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए मुखबिर की सूचना पर राजेश कुमार को कंधई मधुपुर बैंक के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों में उप निरीक्षक रज्जन राव, शिवम सिंह, हेड कांस्टेबल ऋषिकेश तिवारी, और संतोष कुमार शामिल थे।

पुलिस की बड़ी सफलता

प्रतापगढ़ पुलिस ने इस गिरफ्तारी के साथ साबित कर दिया है कि अपराधियों के लिए अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की गई, जिन्होंने अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष निर्देश दिए थे। इस मामले में अन्य आरोपी की तलाश और बरामद धनराशि को जुटाने के प्रयास जारी हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजेश कुमार पुत्र स्व0 जुगुलदत्त नि0 मुढाडिहा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा उम्र करीब 41 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण- चोरी के 1,10000/-(एक लाख 10 हजार) रुपया ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 08/20 धारा 379, 411 भादवि थाना जामो जनपद अमेठी
2- मु0अ0सं0 56/21 धारा 379, 411 भादवि थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
3- मु0अ0सं0 895/15 धारा 380, 395, 397, 457 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर
4- मु0अ0सं0 337/16 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर
5- मु0अ0सं0 1463/15 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर
6- मु0अ0सं0 1480/2015 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर
7- मु0अ0सं0 1484/2015 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर
8- मु0अ0सं0 1498/2015 धारा 41, 411, 413 भादिव थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर
9- मु0अ0सं0 1499/2015 धारा 3/25 A rms act थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर
10- मु0अ0सं0 1501/2015 धारा 22, 8 NDPS थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर
11- मु0अ0सं0 0787/2023 धारा 406 IPC थाना बछरावां जनपद रायबरेली
12- मु0अ0सं0 0346/2023 धारा 379, 411 IPC थाना महराजगंज जनपद रायबरेली
13- मु0अ0सं0 451/2023 धारा 34, 380, 411, 457 थाना सलोन जनपद रायबरेली
14- मु0अ0सं0 0611/2023 धारा 34, 379, 411 थाना सलोन जनपद रायबरेली
15- मु0अ0सं0 0615/2023 धारा 307 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सलोन जनपद रायबरेली
16- मु0अ0सं0 0308/2022 धारा 379, 411 IPC थाना आलमबाग जनपद लखनऊ पूर्वी (कमिश्नरेट लखनऊ)
17- मु0अ0सं0 0411/2023 धारा 379, 411 थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर

थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

—प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

—दुष्कर्म करने के प्रकरण से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

—थाना संग्रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के लगड़ी महुली के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 29.11.2024 को वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना संग्रामगढ़ में धारा 376, 323 भादवि का अभियोग 01 नामजद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में उ0नि0 श्री विनीत कुमार यादव मय हमराह हे0 कां0 सुरेन्द्र प्रसाद, हे0कां0 अवधेश प्रसाद द्वारा अभियुक्त 01. अनुज सिंह पुत्र रंजय सिंह निवासी ग्राम बाबूराय जहांपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 04.12.2024 को थानाक्षेत्र संग्रामगढ़ के लगड़ी महुली के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त अनुज सिंह पुत्र रंजय सिंह को धारा 376, 323 भादवि में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अनुज सिंह पुत्र रंजय सिंह निवासी ग्राम बाबूराय जहांपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
उ0नि0 श्री विनीत कुमार यादव मय हमराह हे0 कां0 सुरेन्द्र प्रसाद, हे0कां0 अवधेश प्रसाद थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर-
आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग में 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार
-प्र0नि0 दिवाकर सिंह द्वारा अन्तर्गत धारा 108,351,352(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त (मृतका का पति) व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार
-अभियुक्त के घर से वांछित दोनों अभियुक्त/अभियुक्ता की हुई गिरफ्तारी
प्रतापगढ़।
दिनांक 04.12.2024 को प्र0नि0 दिलीपपुर मय हमराह द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग अन्तर्गत धारा 108,351,352(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है।
घटना का विवरण-
थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नजियापुर में दिनांक 02.12.2024 को वादी मुकदमा की पुत्री की मृत्यु हो जाने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें साक्ष्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्यवाही/ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा प्र0नि0 दिलीपपुर को निर्देशित किया गया था।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना दिलीपपुर दिवाकर सिंह मय हमराह द्वारा अन्तर्गत धारा 108, 352, 351 (2) बीएनएस में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान वांछित अभियुक्त/अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अनिल के घर दबिश दी गई जहाँ पर अनिल पुत्र राम आसरे निवासी ग्राम नजियापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ व 01 अभियुक्ता निवासी भागीपुर थाना रानीगंज प्रतापगढ़ मौजूद मिले। दोनों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- अनिल पुत्र राम आसरे निवासी ग्राम नजियापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

2- एक अभियुक्ता निवासी भागीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक दिवाकर सिंह, उ0नि0 सुरेश कुमार, म0उ0नि0 सारिका, आरक्षी विनोद कुमार थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज

कोर्ट के आदेश से थाना रानीगंज पर 7400 लीटर जब्त शराबों का कराया गया नष्टीकरण

-आबकारी अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न मुकदमों से संबंधित जब्त शराबों को किया गया नष्ट
-थाना रानीगंज से कुल 7400 लीटर जब्त अवैध शराब को गठित टीम द्वारा कराया गया नष्ट
-जेसीबी मशीन से गड्ढा खुदवाकर दफन किए गए 7400 लीटर शराब
-उपजिलाधिकारी रानीगंज(अध्यक्ष) व क्षेत्राधिकारी रानीगंज, सहायक अभियोजन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-5 रानीगंज व खाद्य निरीक्षक रानीगंज प्रतापगढ़ (सभी सदस्य) गठित समिति द्वारा नियमानुसार की गई नष्टीकरण की कार्यवाही

-पूर्व में थाना अन्तू/ पट्टी/फतनपुर से कुल 23467 लीटर अवैध शराब को कराया जा चुका है नष्ट
-पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य / सुविधाओं तथा जनसुनवाई के दौरान फरियादियों की सुविधा के मद्देनजर जनपद के सभी थाना परिसर को बनाया जा रहा स्वच्छ व साफ सुथरा
- मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में मालों के निस्तारण हेतु गठित टीम द्वारा नियमानुसार शराब नष्ट करने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

प्रतापगढ़।
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी/पश्चिमी) तथा समस्त क्षेत्राधिकारीगण के कुशल मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा जनपद के थानों पर भारी मात्रा में बरामद शराब/स्प्रिट जो काफी दिनों से रखी हुई और जगह के अभाव होने के साथ-साथ बरामद शराब/स्प्रिट नष्ट हो रही है जिसके नियमानुसार नष्टीकरण हेतु प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में

गठित समिति के नामित अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न मुकदमों में जब्त शराब/मादक पदार्थों के नष्टीकरण की नियमानुसार कार्यवाही निरन्तर जारी है।

इसी क्रम में आज दिनांक 04.12.2024 को थाना रानीगंज पर कुल 7400 लीटर अवैध जब्त शराब को गठित समिति उपजिलाधिकारी रानीगंज(अध्यक्ष) व क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी, सहायक अभियोजन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-5 रानीगंज व खाद्य निरीक्षक रानीगंज प्रतापगढ़ (सभी सदस्य) व थाना रानीगंज पुलिस द्वारा नियमानुसार नष्ट कराया गया।

मा0 न्यायालय प्रतापगढ़ के आदेश के अनुपालन में गठित समिति व सम्भ्रान्त व्यक्तियों/पत्रकार बन्धुओं की उपस्थिति में थानों में जब्त अवैध शराब को नष्ट कराया जा रहा है।

बयान- थाना परिसर में रखे माल मुकदमाती शराबों के नष्टीकरण की कार्यवाही से थानों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों व आने वाले फरियादियों के स्वास्थ्य व कार्यप्रणाली पर अनूकल प्रभाव पडेगा व उन्हें सुविधा होगी। थाना परिसर की साफ-सफाई/स्वच्छता के मद्देनजर यह अभियान आगे भी इसी प्रकार से चलाया जायेगा।
-डॉ0 अनिल कुमार,
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।